-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 10.02.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ थाना पैलानी पुलिस द्वारा भैस चोरी करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से चोरी में प्रयुक्त वाहन बरामद।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 10.02.2026 को थाना पैलानी पुलिस द्वारा भैस चोरी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि पैलानी क्षेत्र के रहने वाले छन्नूराम द्वारा बताया गया कि दिनांक 06/07.02.2026 को देर रात्रि भैस चोरी कर ली गई थी। सूचना पर थाना पैलानी में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे। इसी क्रम में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ संदिग्ध लोग ग्राम कानाखेड़ा पेट्रोल पम्प के पास चोरी करने के फिराक में खड़े है पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकार करते हुए बताया गया कि अपने साथी आरिफ पुत्र मोनिश शाह निवासी ग्राम सादी मदनपुर थाना चिल्ला के साथ थाना चिल्ला व थाना जसपुरा में भी भैस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत है। अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

बरामदगी-

- 01 बोलेरो पिकअप (घटना में प्रयुक्त)
- 03 हजार रुपये

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. आफाक पुत्र शमसाद निवासी सादीमदनपुर थाना चिल्ला जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 40/26 धारा 303(2) BNS व बढोत्तरी धारा 317(4) बीएनएस थाना पैलानी जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री सुरेश कुमार
2. कां0 साहिल चौधरी
3. कां0 देवेन्द्र सिंह यादव